न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 186/2022(जी.सी.एम.एस. 2022/277)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मनीराम पुत्र रामाराम उर्फ रामूराम जाति बावरी निवासी 1 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर हाल आबाद चक 7 बीएलडी तहसील विजयनगर।		1. भागीरथ पुत्र रामूराम जाति बावरी निवासी चक 7 बीएलडी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर। 2. मोटाराम पुत्र रामूराम जाति बावरी निवासी चक 7 बीएलडी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर। 3. टीकूराम पुत्र रामूराम जाति बावरी निवासी चक 7 बीएलडी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर। 4. भागवन्ती पुत्री रामूराम पत्नी मनफूल जाति बावरी निवासी चक 4 एम एम तहसील घडसाना। 5. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व, श्रीकरनपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

तारीख रजू 28.09.2022

उपस्थितः1.श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता वादी

—निर्णय—

दिनांकः18.10.2023

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 1 एफ सी तहसील श्रीकरनपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 178/177 के मुरब्बा नम्बर 100 के किला नम्बर 1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टेयर बारानी भूमि वादी एंव प्रतिवादीगण के पिता रामाराम उर्फ रामूराम उर्फ रामू पुत्र किशनाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी व प्रतिवादीगण के पिता का देहान्त दिनांक 23.06.2006 को चक 5 बीएलडी तहसील विजयनगर में हो चुका है। वादी एंव प्रतिवादीगण की माता किशना देवी का देहान्त दिनांक 28.11.2004 को हो चुका है। रामाराम उर्फ रामूराम उर्फ रामू पुत्र किशनाराम की मृत्यू उपरान्त वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ही हैं अन्य कोई वारिस नहीं है। रामाराम उर्फ रामूराम उर्फ रामू पुत्र किशनाराम ने अपने जीवनकाल में इस भूमि अथवा अपनी सम्पति के बाबत कोई वसीयत अथवा अन्तरण दस्तावेज नहीं रचा। उक्त भूमि विरास्तन वादी एंव प्रतिवादीगण को बहिस्सा बराबर प्राप्त हो चुकी है, जिसे वे अपने नाम दर्ज करवा पाने के हकदार है। उक्त भूमि विरास्तन प्राप्त होने के पश्चात वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त काश्त करते चले आ रहे है। इस मुश्तर्का भूमि का वाहमी अथवा विधिक किलावाईज विभाजन नहीं हुआ है। वादी एंव प्रतिवादीगण के परिवार बढ रहे है, भूमि का अब तक किलावाईज विभाजन नहीं होने से पक्षकारों के परिवारों में तकरार भी बढने लगी है। इसलिए वादी उक्त भूमि का किस्म अनुसार विभाजन करवाना चाहता है। ताकि हिस्सेदारों के मध्य विवाद उत्पन्न नहीं हो। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 1 एफ सी तहसील श्रीकरनपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 178/177 के मुरब्बा नम्बर 100 के किला नम्बर 1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टेयर बारानी का खातेदार वादी व प्रतिवादीगण को घोषित किया जाकर खाता व लगान अलग से वादी के नाम कायम किए जाने के आदेश फरमावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। साक्ष्यवादी में गवाह मनीराम उपस्थित आया। शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया व प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 178/177 की प्रति, प्रदर्श–2ए किशना देवी पत्नी रामाराम के मृत्यू प्रमाण पत्र की छायाप्रति, प्रदर्श–3ए रामाराम पुत्र कालूराम के मृत्यू प्रमाण पत्र की छायाप्रति, प्रदर्श–4ए सरपंच ग्राम पंचायत 4 बी.एल.डी. के वारिस तस्दीक प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रदर्शित करवाए। वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण के पिता मृतक रामू पुत्र किशना राम के नाम दर्ज कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि को वादी व

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया, गौर किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन करते हुए वादपत्र का गहनता से अध्ययन किया। दौराने बहस वादी अधिवक्ता के द्वारा अर्ज किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मृतक रामू पुत्र किशनाराम के विधिक वारिसान है। उनके नाम दर्ज चक 1 एफ सी, पटवार हल्का मुकन(ए), भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 178/177 के मुरब्बा नम्बर 100 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। हस्तगत प्रकरण में वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श-1 जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 178/177 में पक्षकार के पिता का नाम रामू पुत्र किशना राम व प्रदर्श-2, 3, 4 में नाम रामाराम पुत्र कालूराम अंकित है। वादी के द्वारा अपने वादपत्र में कथन किया है कि वादी व प्रतिवादीगण के पिता रामाराम उर्फ रामूराम उर्फ रामू पुत्र किशनाराम जाति बावरी का देहान्त हो चुका हैं। परन्तु मृत्यू प्रमाण व वारिस तस्दीक प्रमाण पत्र रामाराम पुत्र कालूराम का प्रस्तुत किया है। लिहाजा वादी द्वारा प्रस्तुत रामाराम पुत्र कालूराम के नाम से प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र व वारिस तस्दीक प्रमाण पत्र के आधार पर चक 1 एफ सी, पटवार हल्का मुकन(ए), भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 178/177 में रामू पुत्र किशनाराम के नाम दर्ज कुल 6.325 हैक्टेयर बारानी भूमि को वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया जाना उचित नहीं है। अतः वादपत्र वादी खारिज/अस्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 92ए, 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 18.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सेर इजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

मनीराम बनाम भागीराम आदि

धारा अन्तर्गत **53, 88, 92ए आरटीए** मुकदमा नम्बर **186/2022**

निर्णय दिनांक :- 18.10.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 92ए, 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया किया जाता है।

आज दिनांक 18.10.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते